24

संख्या– 01-/XV-2/01(03)/2015

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 03, जनवरी 2017

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में महिला डेरी विकास योजना (सामान्य) अन्तर्गत राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1225–26/नियोजन/लेखा–प्रस्ताव आयो0 महिला डेरी पत्रा0/2016–17, दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में महिला डेरी विकास योजना के अन्तर्गत राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि ₹ 165.71 लाख (रूपये एक करोड़ पैंसठ लाख इक्हतर हजार मात्र) निम्नलिखित मदों में निम्नानुसार विनियोजित किये जाने हेतु आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	सुपरवीजन मॉनीटरिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन	153.49
2.	प्रपोल्सन चार्ज	3.15
3.	प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	3.17
4.	ओवरराइडिंग कास्ट	5.90
	योग–	**165.71**

1. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर संख्या तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाय। प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिताा प्रमाण पत्र भी अनिवार्यतः शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जाय।
2. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग की दे दी जाय।
3. उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय जाय।
4. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
5. व्यय की सूचना बी0एम0–8 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकममुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः लेखाशीर्षक–8000–राज्य आकस्मिकता निधि–201–समेकित निधि से विनियोजन के नामे एवं अन्ततः अनुदान संख्या–28 अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–04–महिला डेरी विकास योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

वित्त विभाग–

संख्या– 167 /XXVII(1)/रा0आक0निधि0/2016 दिनांक 29, दिसम्बर, 2016:

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव।

संख्या– 01–/XV-2/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, डेयरी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
7. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
10. श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, एन0आई0सी0 को उक्त योजनान्तर्गत वर्णित लेखाशीर्षक ऑन लाईन अंकित करने के संबंध में।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

3/1/2017

(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव।